भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2606

दिनांक 11.08.2021/ 20 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों को वितरित राहत निधि का आधार

2606 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत राज्यों को किस आधार पर और किस गणना के अनुसार राहत निधि वितरित की जाती है;
(ख) क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि अगर जारी की गई निधि राहत प्रयासों के लिए अपर्याप्त हो तो राज्य उसके लिए अपील कर सकें;
(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में आज तिथि के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत वितरित की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)
(क) से (ग): प्रभावित लोगों को राहत का वितरण करने सहित, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है और उन्हें अपेक्षित लॉजिस्टिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों के नियंत्रण में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) उपलब्ध है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों को एसडीआरएफ का आबंटन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत समय-समय पर गठित उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त, सहायता का वितरण दिशानिर्देशों के अनुसार तथा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता की मदों एवं मानदंडों के द्वारा शासित होता है, जो राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से तैयार किए जाते हैं और ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट क्रमशः https://ndmindia.mha.gov.in/images/NDRFSDRF_06042017.pdf और https://ndmindia.mha.gov.in/images/pdf/SDRF-NDRFNorms-dated8april2015.pdf पर उपलब्ध हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गणना के लिए एक तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई जाती है। प्रथमतः, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) द्वारा मौके पर आकलन किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। फिर, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली "राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उपसमिति (एससी-एनईसी)" जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, द्वारा आईएमसीटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। तदनंतर, एससी-एनईसी की सिफारिशों पर माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी), जिसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। एचएलसी के अनुमोदन के बाद ही, एनडीआरएफ से निधियों की मात्रा जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता "राहत" के रूप में प्रदान की जाती है, न कि हुई हानि/दावा किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए।

(घ): वित्त वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.07.2021 की स्थिति के अनुसार) में, एनडीआरएफ से जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.07.2021 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एनडीआरएफ से जारी की गई धनराशि**
1.	गुजरात	1000.00
2.	झारखंड	200.00
3.	कर्नाटक	629.03
4.	महाराष्ट्र	701.00
5.	ओडिशा	500.00
6.	तमिलनाडु	213.51
7.	पश्चिम बंगाल	300.00
कुल		**3543.54**

****